न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी, सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 40/2021

वादीगणः–

1. मीरा पत्नी दूदाराम जाति साद निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. रामचन्द्र पुत्र दूदाराम जाति साद निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. लहरकी पुत्री दूदाराम जाति साद निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कमलादेवी पत्नी जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. पाबुदेवी पत्नी देरामाराम जाति कलबी (चौधरी) निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. देरामाराम पुत्र टीकमाराम जाति कलबी (चौधरी) निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण जांगिड़ अधिवक्ता वादीगण
2. श्री पूनमचन्द रामदवे अधिवक्ता प्रतिवादीगण

::निर्णय::

दिनांकः–29.08.2025

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 188 के तहत पेश किया है। वाद पत्र. का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा बामसीन तहसील समदडी में खसरा संख्या 909/117 रकबा 2.3229 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि के बदिशा उत्तर के सेढा सेढ प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 908/117 आई हुई है। खसरा संख्या 908/117 रकबा 2.3148 हैक्टेयर व खसरा संख्या 909/117 रकबा 2.3229 हैक्टेयर भूमि के बीच मे मार्ग बनी हुई है तथा वादीगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि में काफी लम्बे समय से तारबंदी की हुई है। वादीगण अपने कब्जा काश्त की खातेदारी की भूमि में निर्विध्न रूप से शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पूर्वाधिकारी द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी या हस्तक्षेप नहीं किया गया प्रतिवादी संख्या1 ने खातेदारी भूमि का

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:46 IST
Reason: SelfAttested

बेचान प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हाल में ही किया गया,प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जबरन वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में अनावश्यक दखल,हस्तक्षेप करने के प्रयास किया जा रहा है तथा वादीगण के कब्जा काश्त एवं हक खातेदारी की भूमि में जबरदस्ती कब्जा करने की धमकियां दी जा रही है। प्रतिवादीगण की गैर जिम्मेदारान हरकतों को रोकने एवं वादीगण की भूमि को क्षति पहुंचाने से रोकने हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,। अधिवक्ता श्री पूनमचन्द रामदेव द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर वकालतनामा व वादीगण के वाद–पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वाद में उभयपक्षकारन द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए–

तनकी संख्या 1– वादीगण ग्राम बामसीन तहसील सिवाना में अवस्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 909/117 रकबा 2.3229 हैक्टैयर में प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं देने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे वादीगण)

तनकी संख्या 2 – वादीनी संख्या 1 व 3 द्वारा अपने समग्र हिस्से का बेचान करने के बावजूद उन्हे पक्षकार के रूप में डिलीट नहीं किये जाने से वाद चलने योग्य नही है ?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 3)

तनकी संख्या 3– वादीनी द्वारा प्रतिवादगण की वादग्रस्त भूमि से लगती क्रयशुदा भूमि खसरा संख्या 908/117 पर कब्जा करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया यह वाद काबिल खारिज योग्य है ?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 3)

तनकी संख्या–4 अन्य सहायता

विवेचन किया गया।

वादीगण की ओर से [illegible] पत्र [illegible] साबित करने के लिए साक्ष्य पी.डब्लयू 1 रामचन्द्र के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध [illegible] गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य खसरा संख्या [illegible] जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, खसरा संख्या 908/117 का नक्शा प्रदर्श 2, खसरा संख्या 909/117 की जमाबंदी प्रदर्श 3 व खसरा संख्या 909/117 की जमाबंदीं प्रंदर्श 4 प्रदर्शित करवाए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:46 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नही किये जाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

वक्त बहस वादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि सरहद मौजा बामसीन तहसील सिवाना में अवस्थित खसरा संख्या 117/414/619 रकबा 28.16 बीघा के विभाजन किये जाने खसरा संख्या 908/117 रकबा 2.3148 हैक्टेयर व खसरा संख्या 909/117 रकबा 2.3229 हैक्टेयर बना, खसरा संख्या 908/117 रकबा 2.3148 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 का व खसरा संख्या 909/117 रकबा 2.3229 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त वादीगण का है.। खसरा संख्या 908/117 रकबा 2.3148 हैक्टेयर व खसरा संख्या 909/117 रकबा 2.3229 हैक्टेयर भूमि के बीच मे माठ बनी हुई है। वादीगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि में काफी लम्बे समय से तारबंदी की हुई है, वादीगण अपने कब्जा काश्त व हक खातेदारी की भूमि में निर्विध्न रूप से शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करते आ रहे है, प्रतिवादी संख्या 1 व उसके हकपूर्वाधिकारी द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी या हस्तक्षेप नहीं किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ने खातेदारी भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हाल में ही किया गया,प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जबरन वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में अनावश्यक दखल, हस्तक्षेप करने के प्रयास किया जा रहा है तथा वादीगण के कब्जा काश्त एवं हक खातेदारी की भूमि में जबरंदस्ती कब्जा करने की धमकियां दी जा रही है। प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी भूमि के कुदरती माठ,सेढा व तारबंदी को नष्ट करने हेतु प्रयासरत है तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में जवाब के पद को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के माठो को तोडने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया वादीगण अपने खसरा संख्या 909/117 के आड में जबरन प्रतिवादीगण के भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 908/117 पर ही काबिज है तथा उक्त खसरे के नेखमबंदी करवाने हेतु सदैव तत्पर है। वादीगण का यह कथन मिथ्या है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि के सेढे, माठ को तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। लिहाजा वादीगण का वाद मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने से जवाब को बहस मनाने के निवेदन किये जाने से तनकीयात की विवेचना की आवश्यकता नहीं होने से तनकीयात की विवेचना नही की गई।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया। वादीगण की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य खसरा संख्या 341 व 908/117 की जमाबंदी

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, खसरा संख्या 908/117 का नक्शा प्रदर्श 2, खसरा संख्या 909/117 की जमाबंदी प्रदर्श 3 व खसरा संख्या 909/117 की जमाबंदीं प्रदर्श 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा बामसीन के खसरा संख्या 909/117 रकबा 2.3229 हैक्टेयर भूमि वादीगण की तथा खसरा संख्या 908/117 रकबा 2.3148 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण के जवाब से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान व नेखबंदी हेतु कभी कोई उज्र/एतराज नहीं किया गया। प्रतिवादीगण ने वाद पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत कोई आपत्ति भी जाहिर नहीं की है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के खातेदारी भूमि मौजा बामसीन के खेत खसरा नम्बर 908/117 रकबा 2.3148 हैक्टेयर पर इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके एंजेट, मजदूर, ठेकेदार, परिवार के सदस्य किसी प्रकार का कोई दखल, हस्तक्षेप, अतिक्रमण, अवरोध, न्यूसेंस, निर्माण नहीं करे तथा वादीगण की खातेदारी भूमि के सेढा, माठ व तारबंदी के अलामात किसी भी रूप में नष्ट नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 40 / 2021

वादीगणः–

1. मीरा पत्नी दूदाराम जाति साद निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. रामचन्द्र पुत्र दूदाराम जाति साद निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. लहरकी पुत्री दूदाराम जाति साद निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कमलादेवी पत्नी जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. पाबुदेवी पत्नी देरामाराम जाति कलबी (चौधरी) निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. देरामाराम पुत्र टीकमाराम जाति कलबी (चौधरी) निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

निर्णय दिनांकः –29.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री भरत गहलोत अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर डिगरी दी जाती है कि वादीगण के खातेदारी भूमि मौजा बामसीन के खेत खसरा नम्बर 908 / 117 रकबा 2.3148 हैक्टेयर पर इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके एंजेट, मजदूर, ठेकेदार, परिवार के सदस्य किसी प्रकार का कोई दखल, हस्तक्षेप, अतिक्रमण, अवरोध, न्यूसेंस, निर्माण नहीं करे तथा वादीगण की खातेदारी भूमि के सेढा, माठ व तारबंदी के अलामात किसी भी रूप में नष्ट नहीं करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 29.08.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:46 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना